**Title: Regarding the reported decision of Centre in respect of delimitation of constituencies.**

**श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर विाय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहता हू। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा और अहम मामला है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के 13 सांसदों और 49 विधायकों की सीटों को बढ़ाने का सवाल है और यह परिसीमन (डीलिमिटेशन), जैसा कि आपको विदित ही है, संविधान के 84वां संशोधन, जो वर्ा 2001 में किया गया और जिसकी अधिसूचना 04-06-2002 में हुई, जिसके अन्तर्गत अब वर्ा 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और इसके लिए श्री कुलदीप सिंह, जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उन्हें परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परिसीमन आयोग ने दिनांक 04-07-2002 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया है।

इसमें लिखा है कि जो परिसीमन होगा वह 1991 के आधार पर होगा और 2026 तक सीट उतनी ही रहेंगी, लेकिन मुख्य रूप से घाटा और लाभ अनुसूचित जाति का होगा। हम सब लोगों ने इसमें मांग की थी कि 2001 के, जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाए। इस संबंध में मेरे पास कुलदीप सिंह जी का पत्र भी है, जो चेयरमैन हैं। उन्होंने भी 17 दिसम्बर को तत्कालीन लॉ मिनिस्टर को लिखा। उसमें उन्होंने कहा था कि यह बहुत इनजस्टिस है कि आप 30 साल के बाद परिसीमन करने जा रहे हैं और आप इसे 1991 के आधार पर कर रहे हैं तथा फिर 2026 में होगा। आप 2001 का, जो आपके पास ऑलरेडी सेंसस हो चुका है, उसके आधार पर क्यों नहीं कर रहे हैं, तब जवाब दिया गया कि 2001 सेंसस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2001 का विधिवत तरीके से नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन सारे के सारे फेक्ट्स आ चुके हैं। उसके बाद भी उन्होंने जब पत्र लिखा, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह आउटडेटेड आधार पर करना ठीक नहीं होगा। आप हमें समय दीजिए और उपलब्ध कराइए, हम दो-तीन महीने के अंदर 2001 के आधार पर डिलिमिटेशन करने को तैयार हैं। कानून मंत्री जी ने जवाब दिया, 21 जनवरी को, जिसमें उन्होंने कहा कि सारी बातों को ध्यान में रख कर हमने 1991 तय किया है।â€¦ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** पासवान जी, जब बिल आएगा उस समय आप बोलिए।

â€¦ (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान :** महोदय, आपरेटिव पार्ट है।â€¦ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, आपरेटिव पार्ट है, आप बोलिए।

â€¦ (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान :** आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस संबंध में हमने जब हाउस में कहा कि हम एसोसिएटेड मेम्बर्स हैं और हमें बुलाया नहीं गया। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं। 13 मार्च को कानून मंत्री जी ने बैठक बुलाई और उस समय उन्होंने हम लोगों को कहा कि डिलिमेटशन कमीशन तैयार नहीं है, हम 2001 को इनसिस्ट करेंगे तो 1971 के आधार पर चुनाव होगा। उसके बाद आपने निर्देश दिया, उसके मुताबिक 16 मार्च, 2003 को निर्वाचन सदन में परिसीमन आयोग की बैठक हुई। वहां दोनों पक्षों के काफी सदस्य थे। हमने जब वहां इस बात को पूछा तो कुलदीप सिंह जी ने कहा कि मैंने लॉ मिनिस्टर को ऐसा नहीं कहा है और मैं अभी भी कहता हूं कि यदि वे हमें 15 दिन के अंदर दें तब तो संभव है तथा यदि 15 दिन के बाद कानून में चेंज भी करेंगे तो संभव नहीं होगा, हमें 1971 के आधार पर परिसीमन करना पड़ेगा।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा सदन 2001 के लिए तैयार है, लेकिन 2001 की आड़ में कहीं ऐसा न हो कि न माया मिले, न राम। न 2001 हो और न 1991 हो तथा हम 1971 के आधार पर चले जाएं। अभी हम लोगों को जो डाटा मिला है उसके मुताबिक 1991 के आधार पर 13 एमपीज़ और 49 एमएलएज़ का सीट एससी, एसटी का बढ़ेगा - जिसमें महाराट्र में 17 और दो, कर्नाटक में 12 एमएलए और दो एमपी तथा मध्य प्रदेश में 12 एमएलए,â€¦ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** पासवान जी, जब बिल आएगा तब आप बोलिए।

**श्री राम विलास पासवान** : महोदय, मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं,â€¦ (व्यवधान)

**श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़) :** मैं भी पासवान जी के साथ एसोसिएट करता हूं।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Your names will be associated.

**श्री राम विलास पासवान :** सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 2001 के आधार पर करने जा रहे हैं, लेकिन जो इलैक्शन कमीशन और परिसीमन आयोग के साथ बैठे हैं, इसके लिए वे तैयार नहीं हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी यदि परिसीमन आयोग तैयार हो जाए और उसके लिए फिर इन्हें पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, 1991 को 2001 के लिए चेंज करना पड़ेगा। इन्हें 2001 का नोटिफिकेशन करना पड़ेगा।â€¦ (व्यवधान) महोदय, चार साल का समय परिसीमन आयोग को दिया जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ दो साल दिए गए हैं।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: You are not coming to the operative part.

**श्री राम विलास पासवान :** महोदय, आप मेरा एक सजेशन सुन लीजिए।

मेरा आपसे आग्रह है कि पूरा का पूरा सदन 2001 के आधार पर परिसीमन के लिए तैयार है, लेकिन यदि 2001 के आधार पर नहीं होता है तो फिर 1971 के आधार पर नहीं होना चाहिए, 1991 के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। जिन सरकारों को इससे इफैक्ट हो रहा है, वहां से एक कांस्प्रेसी चल रही है कि किसी तरह से 2001 की आड़ में इसे 1971 में ले जाओ, इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की मंशा क्या है?â€¦ (व्यवधान)

**श्री शमशेर सिंह दूलो :** सरकार की तरफ से इस पर टिप्पणी आनी चाहिए कि क्या होने वाला है, यह बहुत गम्भीर समस्या है। इसमें मैं अपने आपको एसोसिएट करता हूं। â€¦ (व्यवधान)

**श्री जे.एस.बराड़ (फरीदकोट) :** मैं भी इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।â€¦ (व्यवधान)

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं भी इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं।â€¦ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** इस विाय का जब सदन में बिल आयेगा तो चर्चा कीजिएगा। यह क्या जीरो ऑवर का विाय है, जो इस पर चर्चा होनी चाहिए।

**डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा)** : कटारिया जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके तथ्यों से सम्बन्धित फाइल मैं आपकी इजाजत से टेबल पर रखना चाहता हूं। â€¦ (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, रख दीजिए।

**श्री राम विलास पासवान** : इस सम्बन्ध में सरकार कुछ कहना चाहती है, कुछ नहीं बोलना चाहती है या सरकार को कुछ मतलब ही नहीं है?

MR. SPEAKER: I agree with you. मैंने यही कहा है कि बिल आने के बाद चर्चा होगी। आप जरा मंत्री जी को सुनिये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : रामदास जी बैठिये। आप क्या कर रहे हैं, बैठिये प्लीज। मंत्री जी को सुनिये।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुामा स्वराज) :** अध्यक्ष जी, देखा जाये तो यह विाय ऐसा नहीं है, जिसे शून्यकाल में उठायें और सरकार उस पर प्रतिक्रिया दे दे। इसके ऊपर बाकायदा बिल आ रहा है, जिस पर पूरी चर्चा होगी। उस समय जितनी गम्भीरता से बातें कही जाएंगी, उतनी ही गम्भीरता से सरकार प्रतिक्रिया देगी। यह जीरो ऑवर के प्रश्न थोड़े ही हैं कि जीरो ऑवर में सरकार इस पर रैस्पोंड करेगी।

------------